



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1921]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2013/श्रावण 28, 1935

No. 1921]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2013/SHRAVANA 28, 1935

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

का.आ. 2496(अ).—केन्द्रीय सरकार, दामोदर घाटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011(2012 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 19 अगस्त, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 14/3/2001-डी.वी.सी.]

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2013

S.O. 2496(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Damodar Valley Corporation (Amendment) Act, 2011 (No.1 of 2012), the Central Government hereby appoints the 19th Day of August, 2013 as the date on which the said Act shall come into force.

[F.No.14/3/2001-DVC]

I. C. P. KESHARI, Jt. Secy.